कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झॉसी ।

पत्रॉक– /छात्रवृत्ति/2023/एस0सी0–3 दिनॉक: 02/02/24

सूचना

निदेशक समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति सत्र 2023–24 समय–सारणी के अनुसार इस चिकित्सा महाविधालय में अध्ययनरत एम0बी0बी0एस0, डी0एम0एल0टी0, डी0एम0एक्स0टी0 पाठ्यक्रम के छात्र–छात्राओं को अवगत कराना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति का आवेदन फार्म भरते समय हुयी त्रुटियों को छात्रों के स्तर से सही करने की तिथि निर्धारित कर दी गयी है।

अतः वे सभी छात्र–छात्रायें जिनके छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में कोई भी त्रुटि हो गयी हो तो वे छात्र स्तर से अपने लॉगिन पर दिनॉक 12–02–2024 से 15–02–2024 तक सही कर लें तथा उसके उपरान्त सही आवेदन फार्म को दिनॉक 16–02–2024 तक संस्था में जमा करायें।

उक्त तिथि तक छात्र स्तर से संशोधन न किये जाने पर छात्रवृत्ति न आने पर छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

शैक्षिक सत्र 2023–24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रायें दिनॉक 08–04–2024 तक आवेदन करके फार्म शिक्षण संस्थान में जमा करें।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रधानाचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज,
झॉसी।

6616

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
2– विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
3– अधीक्षक, छात्रावास सी0वी0रमन,धनवन्तरी व यू0जी0 बालिका छात्रावास, सम्बन्धित सभी छात्रावास के नोटिस बोर्ड, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
4– नोटिस बोर्ड ।
5– मेडिकल कॉलेज झॉसी के ऑफीसियल वेबसाइट पर छात्रों हेतु सूचनार्थ।

प्रधानाचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज,
झॉसी।

	अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
9	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	24 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक
10	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	24 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
11	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 तक
12	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	12 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
13	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 फरवरी 2024 तक
14	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	19 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक
15	**जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 मार्च, 2024 तक

File No.26-3099/575/2023- -3-

1469626 2024

संख्या- 10 /2024/ 147 26-3-2024 C.N - 1741061

प्रेषक,

राज कुमार झा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 — लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4317/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 10.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-106/2023/4035/26-3-2023/C.No-1741061 दिनांक 18.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों (शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में केवल सामान्य वर्ग के छात्र) में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही आदि हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है। शासनादेश दिनांक 18-12-2023 के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10-01-2024 निर्धारित थी, किन्तु उक्त निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कतिपय छात्र आनलाइन आवेदन नहीं कर पाये हैं।

3- उक्त के क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2023-24 मे सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है -

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने	12 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक

संख्या- 2202/ 148/26-3-2024/C No-1513982

प्रेषक,

राज कुमार झा

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1 निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2 निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक [illegible] जनवरी 2024

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एव शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4316/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023 24 दिनांक 10.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एव शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-105/2023/4036/26-3-2023/C No-1513982 दिनांक 18.12.2023 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2023 तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को प्रथम चरण के अन्तर्गत माह मार्च, 2024 में निर्धारित तिथि को धनराशि का अंतरण किया जाना है। 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च, 2024 तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को द्वितीय चरण के अन्तर्गत माह जून, 2024 में निर्धारित तिथि को धनराशि का अंतरण किया जायेगा।

3- उक्त के क्रम में वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों/छात्राओं हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानो द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानो द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य	12 जनवरी से 15 जनवरी, 2024 तक

11.1.2024

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

परीक्षण किया जाना।

15	**जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 मार्च, 2024 तक
16	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग [illegible] कराना।	17 मार्च 2024 तक
17	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	22 मार्च 2024 तक
	द्वितीय चरण	
18	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक
19	**छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 अप्रैल, 2024 तक
20	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओ द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था मे जमा किया जाना** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	08 अप्रैल 2024 तक
21	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 अप्रैल 2024 तक